The Uttar Pradesh Lok-Dhan (Deyoun Ki Vasuli) Adhiniyam, 1972

Act 23 of 1972

Keyword(s):
Nigam, Vitiya, Industrial Sanstha, Industrial Upkaram, Banking Company, Puronidhanit Yojna

Amendments appended: 17 of 1975, 6 of 1992

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

cop·4
135815
विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 22 मार्च, 1972 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने क 7 अप्रैल, 1972 की बैठक में स्वीकृत किया]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 28 अप्रैल, 1972 अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 1 मई, 1972 को शित हुआ]

राज्य सरकार या उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम अथवा राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिसूचित ‌ अन्य निगम या किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अन्य अनुसूचित बैंक या किसी सरकारी कम्पनी को दिये वाले कतिपय वर्ग के देयों की, भूतलक्षी प्रभाव से, शीघ्र वसूली की व्यवस्था करने, और पूर्वकृत पय कृत्यों और की गई कार्यवाहियों का वैधीकरण करने, और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था ‌ के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 गयेगा। संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह धारा और धारा 2 से 5 तक 4 दिसम्बर, 1965 से प्रवृत्त हुई समझी जायगी।

2—(1) जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में— परिभाषायें

(क) "निगम" का तात्पर्य स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन्स ऐक्ट, 1951 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से है, और इसके अन्तर्गत कोई अन्य निगम भी है जिस पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण हो और जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में तदर्थ जारी की गई अधिसूचना में निर्दिष्ट हो ;

Price 010 Paise

उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 24 मार्च, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

(ख) "वित्तीय सहायता" का तात्पर्य ऐसी वित्तीय सहायता से है जो—

(1) किसी औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने, उसका विस्तार या आधुनिकीकरण या नवीकरण करने अथवा उसे चलाने के लिये ; या,

(2) व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये; या

(3) कृषि, औद्यानिकी, पशुपालन या कृषि-उद्योग के विकास के लिये; या

(4) किसी अन्य प्रकार के योजनाबद्ध विकास के प्रयोजनों के लिये; या

(5) विपत्ति में सहायता के लिये;

दी जाय;

(ग) "सरकारी कम्पनी" का तात्पर्य कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित गवर्नमेंट कम्पनी से है;

(घ) "औद्योगिक संस्था" का तात्पर्य वही होगा जो समय-समय पर यथासंशोधित स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन ऐक्ट, 1951 में पद 'इण्डस्ट्रियल कन्सर्न' के लिये दिया गया हो;

(ङ) "औद्योगिक उपक्रम" के अन्तर्गत कोई ऐसा उपक्रम भी है जो माल के निर्माण, संरक्षण, संग्रहण अथवा प्रक्रिया या खनन अथवा होटल उद्योग अथवा यात्रियों या माल के परिवहन या विद्युत् अथवा किसी अन्य प्रकार की शक्ति के जनन या वितरण के लिये, अथवा औद्योगिक आस्थान के रूप में किसी समीपवर्ती क्षेत्र की भूमि का विकास करने के लिये हो।

स्पष्टीकरण:—पद "माल की प्रक्रिया करना" के अन्तर्गत किसी पदार्थ पर हस्तसाधित, यान्त्रिक, रासायनिक, विद्युत् या उसी प्रकार की कोई अन्य क्रिया करके किसी वस्तु को उत्पादित करने, तैयार करने अथवा बनाने के निमित्त कोई कला या प्रक्रिया है ।

(च) "बैंकिंग कम्पनी" का तात्पर्य स्टेट बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट, 1955 के अधीन संघटित स्टेट बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया (सब्सिडियरी बैंक्स) ऐक्ट, 1959 में यथापरिभाषित सब्सिडियरी बैंक, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन संघटित सादृश्य नये बैंक अथवा बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट, 1949 में यथापरिभाषित बैंकिंग कम्पनी से है;

(छ) "राज्य द्वारा पुरोनिधानित योजना" का तात्पर्य वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकार द्वारा पुरोनिधानित ऐसी योजना से है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार या तो किसी बैंकिंग कम्पनी या किसी सरकारी कम्पनी को ऋण वितरित करने, अग्रिम धनराशि या अनुदान देने के लिये अथवा माल को उधार बेंचने या उसके क्रयावक्रय के लिये अग्रिम धनराशि देती है या ऋण, अग्रिम धनराशि या अनुदान की वापसी के लिये अथवा उधार या क्रयावक्रय पर बेंचे गये माल की कीमत के भुगतान के लिये प्रत्याभूति देती है या प्रत्याभूति देने का अनुबन्ध करती है।

कतिपय देयों की मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली

3—(1) यदि कोई व्यक्ति—

(क) राज्य सरकार या निगम द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में उसे दिये गये किसी ऋण, अग्रिम धनराशि या अनुदान अथवा उसे उधार बेचे गये या क्रयावक्रय पर बेंचे गये माल से सम्बद्ध किसी अनुबन्ध में; या

(ख) राज्य सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत, यथास्थिति बैंकिंग कम्पनी या किसी सरकारी कम्पनी द्वारा उसे दिय गय किसी ऋण, अग्रिम धनराशि या अनुदान से सम्बद्ध या उस उधार बचे गये या क्रयावक्रय पर बेचे गये माल से सम्बद्ध किसी अनुबन्ध में; या

(ग) किसी औद्योगिक संस्था द्वारा लिये गये ऋण के सम्बन्ध में राज्य सरकार या निगम द्वारा दी गई प्रत्याभूति से सम्बद्ध किसी अनुबन्ध में; या

(घ) किसी ऐसे अनुबन्ध में जिसमें इस बात की व्यवस्था की गई हो कि राज्य सरकार को तद्धीन देय कोई धनराशि मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जायेगी;

एक पक्ष हो और ऐसा व्यक्ति—

(1) ऋण अथवा अग्रिम धनराशि या उसकी किसी किस्त का प्रतिदान करने में कोई चूक करे; या

(2) अनुदान की शर्तों के अधीन अनुदान अथवा उसके किसी भाग की वापसी के लिए देनदार हो जाने पर, ऐसे अनुदान अथवा उसके भाग या उसकी किस्त को वापस करने में कोई चूक करे; या

(3) अन्य प्रकार से अनुबन्ध की शर्तों का पालन न करे, तो राज्य सरकार की दशा में, ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, तथा निगम या सरकारी कम्पनी की दशा में, उसका प्रबन्ध

विदेशक, और किसी बैंकिंग कम्पनी की दशा में, उसका स्थानीय एजेन्ट, वह चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो, कलेक्टर को ऐसे व्यक्ति द्वारा देय धनराशि का उल्लेख करके इस अनुरोध के साथ एक प्रमाण-पत्र भेज सकता है कि उपर्युक्त धनराशि को कार्यवाहियों के व्यय सहित मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जाय।

(2) कलेक्टर प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर उसमें उल्लिखित धनराशि मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

(3) उपधारा (1) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपर्युक्त प्रकार से देय किसी भी धनराशि की वसूली के लिये कोई वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

अपवाद

4—(1) धारा 3 की किसी बात से—

(क) राज्य सरकार, निगम, सरकारी कम्पनी या किसी बैंकिंग कम्पनी की किसी सम्पत्ति में किसी बन्धक, भार, गिरवी या अन्य प्रभार द्वारा सृजित किसी स्वत्व पर कोई प्रभाव न पड़ेगा ; या

(ख) उक्त धारा में अभिदिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, उक्त धारा में अभिदिष्ट किसी अनुबन्ध के सम्बन्ध में की गई क्षतिपूर्ति या प्रत्याभूति की संविदा के सम्बन्ध में अथवा खण्ड (क) में अभिदिष्ट किसी स्वत्व के सम्बन्ध में कोई वाद लाने में रुकावट न होगी, और न ही किसी अन्य अधिकार या उपचार पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

(2) यदि धारा 3 में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति की सम्पत्ति राज्य सरकार, निगम, सरकारी कम्पनी, बैंकिंग कम्पनी के पक्ष में किसी बन्धक, भार, गिरवी अथवा अन्य किसी प्रभार स्वरूप ग्रस्त है, तो—

(क) माल की गिरवी के प्रत्येक मामले में, सर्वप्रथम गिरवी रखी गई चीज को बेचने की कार्यवाही की जायेगी, और यदि इसका विक्रय आगम देय धनराशि से कम हो, तो अवशेष की वसूली के लिये उसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी मानों कि वह मालगुजारी की बकाया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि, यथास्थिति, स्वयं उस अथवा निगम, सरकारी कम्पनी अथवा बैंकिंग कम्पनी को देय धनराशि की वसूली को सुरक्षित करने के लिये ऐसा करना आवश्यक है, तो वह गिरवी रखी गई चीज की बिक्री के पूर्व अथवा बिक्री की कार्यवाही करते समय, कारण अभिलिखित करके, निदेश दे सकती है कि देय धनराशि की वसूली के लिये उसी प्रकार कार्यवाहियां की जायं मानों कि वह मालगुजारी की बकाया हो ;

(ख) किसी अचल सम्पत्ति पर होने वाले बन्धक, भार अथवा अन्य प्रभार के प्रत्येक मामले में, सर्वप्रथम ऐसी सम्पत्ति या जैसी भी दशा हो, सम्पत्ति में बाकीदार का स्वत्व, उक्त व्यक्ति द्वारा देय धनराशि की वसली की कार्यवाही के अन्तर्गत प्रथमतः इस प्रकार बेचा जायगा मानों कि वह मालगुजारी की बकाया हो, तथा तदुपरान्त अन्य कोई भी कार्यवाही केवल तभी की जायेगी जब कलेक्टर यह प्रमाणित करे कि उचित अवधि के भीतर प्रथम वर्णित प्रक्रिया द्वारा देय सम्पूर्ण धनराशि को वसूलने की कोई सम्भावना नहीं है।

निरसन

5—लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1965 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

वैधीकरण

6—धारा 5 द्वारा लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1965 का निरसन होते हुये भी, और किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी राज्य सरकार या निगम या किसी सरकारी कम्पनी या स्टेट बैंक आफ इन्डिया या अन्य अनुसूचित बैंक द्वारा, अथवा राज्य सरकार या ऐसे निगम, कम्पनी या बैंक के किसी अधिकारी द्वारा, अथवा किसी कलेक्टर या अन्य राजस्व अधिकारिक द्वारा, अथवा कलेक्टर द्वारा नियुक्त या नियुक्त किये जाने के लिये तात्पर्यित रिसीवर द्वारा 4 दिसम्बर, 1965 और इस अधिनियम के प्रारम्भ के मध्य में की गई अथवा किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही, या किया गया अथवा किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य, जिसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम के अधीन अथवा उसके अनुसरण में मालगुजारी की बकाया के रूप में किसी धनराशि की वसूली के लिये जारी की गई कोई अधिसूचना, जारी किया गया या भेजा गया प्रमाण-पत्र, रिसीवर की कृत नियुक्ति या कृत अन्य कार्यवाहियां भी हैं, जहां तक वे इस अधिनियम से असंगत न हों, वैध समझी जायंगी और उन्हें इस अधिनियम के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन या उनके अनुसरण में कृत कार्यवाही या कृत कार्य समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3, 1972

निरसन

7—उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

THE UTTAR PRADESH PUBLIC MONEYS, (RECOVERY OF DUES) (AMENDMENT) ACT, 1975

[UTTAR PRADESH ACT NO. 17 OF 1975]

[*Authoratative English Text of the Uttar Pradesh Lok Dhan (Deyon Ki Wasooli) (Sanshodhan), Adhiniyom,* 1975]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972 U. P. Act no. 23 of 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) (Amendment) Act, 1975. Short title.

2. Sub-section (1) of section 2 of the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, shall be *renumbered* as section 2, and accordingly the brackets and figure "(1)" occurring in the beginning shall be *omitted,* and in the said section 2,— Amendment of section 2 of U.P. Act no. 23 of 1972.

(i) in clause (*f*), the words "or a financing bank or Central Bank as defined in the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 not being a land development bank" shall be *inserted* at the end ;

(ii) in clause (*g*), the words "and includes any other scheme of financial assistance, by a banking company or a Government company, which is declared to be a State-sponsored scheme by the State Government by notification in the *Gazette*" shall be *inserted* at the end.

(For Statement of Objects and Reasons, please *see* Uttar Pradesh *Gazette* Extraordinary, dated March 1, 1975).

PRICE 10 PAISE

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 12, 1975 and by the Uttar Pradesh Council on March 18, 1975).

(Received the assent of the President on March 31, 1975 under Article 201 of the Constitution of India and was published in the Uttar Pradesh *Gazette* Extraordinary, dated March 31, 1975)

No. 660 (2)/XVII—V-1-1-(KA)31-1992

Dated Lucknow, March 11, 1992

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lokdhan (Deyon Ki Vasuli) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1992 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 1992) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 11, 1992.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC MONEYS (RECOVERY OF DUES) (AMENDMENT) ACT, 1992

(U. P. Act No. 6 of 1992)

[*As passed by the U. P. Legislature*]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972.

It is hereby enacted in the Forty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) (Amendment) Act, 1992.

(2) It shall be deemed to have come into force on October 9, 1991.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 23 of 1972

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *after* the words, "the Chairman of the Corporation, by whatever name called", the words "or such officer of the Corporation or Government Company as may be authorised in that behalf by the Managing Director or the Chairman" shall be *inserted*.

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) (Amendment) Ordinance, 1991 is hereby repealed. U. P. Ordinance no. 39 of 1991

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
NARAYAN DAS,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 308 सा० (विधा०)—(3088)—1992—850 (मैक०)।

Amendment of section 3.

3. In section 3 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1),—

(*a*) in clause (*d*), in the opening paragraph, *after* the words, "the State Government" the words "or the Corporation" shall be *inserted* ;

(*b*) *after* the words "the Managing Director" the words "or where there is no Managing Director then the Chariman of the Corporation, by whatever name called," shall be *inserted* ;

(ii) *after* sub-section (3), the following sub-sections shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted,* namely,—

"(4) In the case of any agreement referred to in sub-section (1) between any person referred to in that sub-section and the State Government or the Corporation, no arbitration proceedings shall lie at the instance of either party for recovery of any sum claimed to be due under the said sub-section or for disputing the correctness of such claim :

Provided that whatever proceedings are taken against any person for the recovery of any such sum he may pay the amount claimed under protest to the officer taking such proceedings, and upon such payment the proceedings shall be stayed and the person against whom such proceedings were taken may make a reference under or otherwise enforce an arbitration agreement in respect of the amount so paid, and the provisions of section 183 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, or section 287-A of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, as the case may be, shall *mutatis mutandis* apply in relation to such reference or enforcement as they apply in relation to any suit in the civil court.

(5) Save as otherwise expressly provided in the proviso to sub-section (4) of this section or in section 183 of the U. P. Land Revenue Act, 1901 or section 287-A of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 every certificate sent to the Collector under sub-section (1) shall be final and shall not be called in question in any original suit, application (including any application under the Arbitration Act, 1940) or in any reference to arbitration, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or intended to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act."

Repeal.

4. The Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) (Amendment) Ordinance, 1975, is hereby repealed.

Transitory provisions.

5. All suits, applications and arbitration proceedings of the nature referred to in sub-section (5) of section 3 of the principal Act as inserted by this Act, pending immediately before the commencement of this Act shall abate upon the commencement of this Act, so, however, that such abetment shall be without prejudice to the right of the persons affected to agitate any dispute in accordance with the proviso to sub-section (4) of the said section 3 as inserted by this Act or in accordance with section 183 of the U. P. Land Revenue Act, 1901 or section 287-A of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.

PSUP—A.P. 486 Sa. (Vidha.)—3950—1976—1,852 (Mech.).